HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9858/2025

Lakshay Khatri S/o Sanjeev Kumar Jaat, Aged About 30 Years, R/o N.h. 11, 13 Pana Paprosiya, Narela, Uttar Paschim, Delhi.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री देवी सिंह, श्री प्रताप सिंह
For Respondent(s)	:	श्री हनुमान प्रजापति, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत **पुलिस थाना– महिला थाना, बीकानेर, जिला– बीकानेर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– **55/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 85, 316(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता** में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 85, 316(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवाद के आधार परिवादीया, जो कि प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी है द्वारा दिनांक 01.04.2025 को प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह आक्षेप लगाये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बीस लाख रुपये की मांग की गयी है और प्रार्थी/अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा परिवादीया के साथ दहेज का ताना देकर उसे तंग व परेशान किया जा रहा है। परिवाद में परिवादीया ने यह भी आक्षेप लगाया गया है कि दिनांक 02.12.2024 को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादीया से फोन पर बीस लाख रुपये की मांग की

गयी और फोन काट दिया तथा दिनांक 06.12.2024 को प्रार्थी/अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा बीस लाख रुपये के दहेज की मांग की गयी है। उनका कथन है कि परिवादीया व प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य परस्पर वैवाहिक विवाद है और प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तत्पर है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के माता–पिता को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया और प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी आक्षेपित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों व इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त व परिवादीया के मध्य परस्पर विवाद है और तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि परिवादीया के शरीर पर कोई उपहतियां इत्यादि नहीं पायी गयी है तथा परिवादीया ने स्वयं अपना मेडिकल करवाने से इन्कार किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्याय संगत प्रकट होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **लक्ष्य खत्री पुत्र संजीव कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, **महिला थाना, बीकानेर, जिला– बीकानेर** को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में यदि प्रार्थी/अभियुक्त उनके संतोषप्रद पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर आजाद कर दिया जावेः–

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

37-Dhanraj Jajoria /-